राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठक दिनांक 16 मार्च, 2020 का कार्यवृत्त

उपस्थिति–संलग्न है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठक हुई। बैठक में डा० तारसेम चन्द, संयुक्त सचिव (नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रतिभाग किया गया। श्री आर० मीनाक्षी सुन्दरम सचिव, कृषि उत्तराखण्ड शासन, डा० ए०के० कर्नाटक उप कुलपति एवं डा० राजेश निदेशक शोध उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी, श्री के०सी०पाठक अपर कृषि निदेशक कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड तथा अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

नई परियोजनाओं पर चर्चा

वर्ष 2020–21 के लिए कृषि विभाग की निम्नलिखित 3 नई परियोजनायें स्वीकृति हेतु रखी गयी। संबंधित परियोजनाओं का भारत सरकार द्वारा प्री–एस.एल.एस.सी. में परीक्षणोंपरान्त टिप्पणी दी गयी है।

(Rs. in lakh)

परियोजना का नाम	परियोजना लागत	स्ट्रीम	परियोजना अवधि	स्वीकृत धनराशि	प्री–एस.एल.एस.सी. की टिप्पणी
1-Annual Action Plan (AAP) of Swachhta Action Plan (SAP)	3491.897	Special Scheme	3 year	3491.897	INM Proposal under Swachhta Action Plan is ongoing programme. This is to be funded from 1% RKVY and can be agreed upon. Project may be taken up as per PKVY norms from 1% funds of Swachhta Action Plan (SAP) under RKVY. Geo tagging to be done. Location may be given.
2-Project Proposal on Saturation of Block Situated at Ganga Basin Under Organic Farming	50726.31	Special Scheme	3 year	50726.31	INM Division Organic Farming is 78000 ha is to be considered under PKVY, not to be funded through RKVY. The project to be taken up under PKVY.
3-Project Proposal on Adoption and Certification under Organic Farming.	3385.60	P&G	3 year	3385.60	INM Division All the components except vermin-compost & NADEP can be agreed for 62,000 ha. which is already certified. All the components can be approved for 800/- ha. as proposed by State. Supported as per comments. Geo tagging to be done. Location may be given.
	57603.267			**57603.267**	

उक्त परियोजनाओं पर चर्चा की गयी। परियोजनायें भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएंगी। परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा, जिस अनुपात में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होगी, उसी के अनुसार परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। क्रम संख्या–1 एवं 3 की परियोजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, क्रम संख्या–2 की परियोजना परम्परागत कृषि विकास योजना से संचालित की जाएगी एवं क्रम संख्या–3 की परियोजना के अन्तर्गत वर्मीन कम्पोस्ट और NADEP को छोड़कर सभी घटकों को 62,000 हेक्टेयर के लिए सहमत किया जा सकता है, जो पूर्व से प्रमाणित है। सभी घटकों को 8000/ हेक्टेअर के लिए अनुमोदित किया जा सकता है, जो राज्यों द्वारा प्रस्तावित है। परियोजना कार्यों की अनिवार्य रूप से Geo Tagging की जाएगी। तदनुसार परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. अन्य बिन्दुओं यथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने, पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध कराने, पोस्ट फैक्टो एवं परियोजनाओं हेतु संशोधित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में इसी माह में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी, तदोपरान्त अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।

3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 में उपलब्ध धनराशि रू० 79.66 करोड़ के सापेक्ष रू० 1.35 करोड़, वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि रू० 28.46 करोड़ के सापेक्ष रू० 6.70 करोड़ तथा वर्ष 2019–20 में अवमुक्त धनराशि रू० 23.27 करोड़ के सापेक्ष रू० 14.27 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है। इस संदर्भ में अपर कृषि निदेशक नोडल विभाग ने अवगत कराया कि वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं, तथापि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति पुनः प्रेषित कर दी जाएगी। वर्ष 2019–20 में रू० 15.18 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, शेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च 2020 के अन्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1
संख्या– 572 /XIII-1/2020-5(26)2008-TC-V
देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव एवं एफ.आर.डी.सी., उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव पशुपालन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, आर0के0वी0वाई0, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री वाई0आर0मीना, ए0डी0जी0 (प्रसार) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. अनुसचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निदेशक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. संयुक्त निदेशक (प्रसार), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, गन्ना विकास, लघु सिंचाई विभाग, नियोजन, उद्यान/रेशम, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, उद्यान/पशुपालन/मत्स्य पालन/डेरी विकास/रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
14. प्रबन्ध निदेशक, मण्डी परिषद रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
15. आयुक्त, गन्ना विकास एंव चीनी, उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह-नगर।
16. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली।
17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कोपरेटिव डेरी फेडरेशन मंगल पड़ाव, हल्द्वानी।
18. प्रबन्ध निदेशक, जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
19. मुख्य अधिशासी अधिकारी भेड़ एंव ऊन विकास परिषद मोथरोवाला रोड, देहरादून।
20. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइव स्टोक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
21. निदेशक शोध, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
22. निदेशक शोध, औद्यानिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
23. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कैप), सेलाकुई, देहरादून/वैज्ञानिक सी मैप, हल्दी ऊधमसिंहनगर।
24. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तपोवन, देहरादून/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
25. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
26. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम बीज भवन, पूसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली।
27. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एंव तराई विकास निगम, पंतनगर, हल्दी।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एस.एल.एस.सी. बैठक की उपस्थिति – दिनांक 16 मार्च 2020

क्र.सं.	नाम प्रतिभागी	पदनाम	विभाग का नाम
1	डा० तारसेम चन्द	संयुक्त सचिव	भारत सरकार
2	श्री आर० मीनाक्षी सुन्दरम	सचिव	पशुपालन
3	श्री के०सी० पाठक	अपर कृषि निदेशक	कृषि
4	डा० ए०के०कर्नाटक	उप कुलपति	औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय
5	डा० राजेश	निदेशक शोध	औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय
6	श्री दिनेश कुमार	संयुक्त कृषि निदेशक	कृषि
7	श्री सुरेश चन्द	संयुक्त कृषि निदेशक	कृषि
8	श्री विनय कुमार	प्रबन्ध निदेशक	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद
9	श्री प्रकाश चन्द	समीक्षा अधिकारी	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1
10	श्री एस.एम.सती	समन्वयक सहायक आर.के.वी.वाई	कृषि